प्रारूप - III

791
8/3/16

बिहार सरकार
श्रम संसाधान विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

कार्यालय–आदेश

Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के Operations Manual में निहित प्रावधानों के तहत Modular Employable Skill (MES) के अन्तर्गत नये संस्थानों को निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुश्रवण करना अनिवार्य होगा :–

1. नये VTP स्थापित करने हेतु साल मे एक बार आवेदन करने हेतु RFQ निकाला जायेगा एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही स्थाई पंजीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
2. VTP की संख्या अधिक होने की स्थिति में राज्य सरकार कभी भी किसी भी VTP का पंजीयन संबंधित को स्मारित एवं कारण बताते हुए रदद् कर सकती है।
3. राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण अवधि एवं Assessment के दौरान राज्य में अवस्थित किसी भी VTP का कभी भी औचक निरीक्षण कर सकती है।
4. पंजीकृत VTP का अवधि तीन साल का होगा परंतु प्रत्येक वर्ष पुनः तकनीकी निरीक्षण के उपरान्त ही ट्रेनिंग बैच की संख्या निर्धारित करने पर विचार किया जायेगा।
5. इस योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना है।
6. संबंधित संस्था को प्रशिक्षणोपरांत प्रति प्रशिक्षणार्थि प्रति घंटा के निर्धारित दर से निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
7. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेन्ट संबंधी आकड़े पोर्टल पर अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत कटौति करने के उपरान्त ही भुगतान करने पर विचार किया जायेगा। साथ ही अगले TBN का अनुशंसा नहीं किया जायेगा।
8. VTP के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित होने से 30 दिनों के अन्दर संबंधित क्लेम का विपत्र वांछित अभिलेखो के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा विपत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
9. यदि VTP द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के तीन दिनों के अन्दर Assessing Body को Assessment करने हेतु offer नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क में निम्न प्रकार से कटौति करने का प्रावधान है :–

   (क) यदि Assessment में 4 से 10 दिनों का विलम्ब हो तो 15 प्रतिशत प्रशिक्षण शुल्क की कटौति की जा सकती है।

   (ख) यदि Assessment में 11 से 20 दिनों का विलम्ब हो तो 30 प्रतिशत प्रशिक्षण शुल्क की कटौति की जा सकती है।

(ग) यदि Assessment में 20 से अधिक दिनों से ज्यादा का विलम्ब हो तो 45 प्रतिशत प्रशिक्षण शुल्क की कटौति की जा सकती है।

10. VTP द्वारा अच्छे कार्य करने पर Incentive (In case of availability of fund in SDIS) विचार किया जा सकता है जिसका दर निम्न प्रकार है :–

(क) यदि VTP द्वारा 60 से 70 प्रतिशत के बीच प्लेसमेन्ट राज्य द्वारा निर्धारित न्युन्तम वेतन पर कराया जाता है तो दो हजार रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी देय होगा।

(ख) यदि VTP द्वारा 50 से 60 प्रतिशत के बीच प्लेसमेन्ट राज्य द्वारा निर्धारित न्युन्तम वेतन पर कराया जाता है तो एक हजार रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी देय होगा।

11. VTP की Grading की जाएगी एवं Potentional VTPs को बढ़ावा दिया जाएगा।

निदेशक
नियोजयन एवं प्रशिक्षण,
बिहार पटना।

ज्ञापांक– टी 2/एम0ई0एस0–14/2013(खण्ड)- 791 पटना, दिनांक– 8/3/16

प्रतिलिपि – निदेशक (एस0 डी0 आई0) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक
नियोजयन एवं प्रशिक्षण,
बिहार पटना।

ज्ञापांक– टी 2/एम0ई0एस0–14/2013(खण्ड)- 791 पटना, दिनांक– 8/3/16

प्रतिलिपि – राज्य में संचालित/आवेदित सभी वी0टी0पी0 निदेशक /संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/प्रभारी पदाधिकारी (वी0टी0पी0)/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

04/03/16
निदेशक
नियोजयन एवं प्रशिक्षण,
बिहार पटना।